

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला-अजमेर

राजस्व वाद संख्या 105/2009

पीठासीन अधिकारी - श्री सुरेश चौधरी (आर.ए.एस.)

श्री किशनलाल पुत्र श्री गणेश जी, जाति चमार, निवासी सेदरिया, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.)

-----वादी

ब न अ म

- 1- श्री लालचन्द पुत्र श्री गणेश जी, जाति चमार, निवासी सेदरिया, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.)
- 2- श्रीमति फूली देवी पत्नि श्री घनश्याम जी,
- 3- श्री विजय कुमार पुत्र श्री घनश्याम जी, दोनों जाति चमार, निवासियान होटल महाराणा प्रताप के पीछे, मांझ गांव, माउण्ट आबू, जिला सिरोही (राज.)
- 4- श्री राजू पुत्र श्री जगदीश जी,
- 5- श्री संजू पुत्र श्री जगदीश जी,
- 6- श्रीमति ललिता पुत्री श्री जगदीश जी,
- 7- श्रीमति पूजा पुत्री श्री जगदीश जी,
- 8- श्रीमति यशोदा पुत्री श्री जगदीश जी,
- 9- श्री सुशील कुमार पुत्र श्री जगदीश जी,
- 10- श्रीमति ममता पुत्री श्री जगदीश जी,
- 11- श्री पन्नालाल पुत्र श्री बुद्धा जी,
- 12- श्रीमति शान्तिदेवी बेवा श्री बाबूलाल जी,
- 13- श्री उत्तमचन्द पुत्र स्व. श्री बाबूलाल जी,
- 14- श्री चांदमल पुत्र स्व. श्री बाबूलाल जी,
- 15- श्री अशोक कुमार पुत्र स्व. श्री बाबूलाल जी,
- 16- श्री खेमचन्द पुत्र स्व. श्री बाबूलाल जी,
- 17- श्री राजेश पुत्र स्व. श्री बाबूलाल जी
- 18- श्रीमति मुन्नी पुत्री स्व. श्री बाबूलाल जी, समस्त जाति चमार, निवासी सेदरिया, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.)
- 19- श्री प्रभूलाल पुत्र श्री कालूराम पुत्र श्री खूमा जी,
- 20- श्री नोरतमल पुत्र श्री कालूराम पुत्र श्री खूमा जी, समस्त जाति चमार, निवासी सेदरिया, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.)
- 21- श्री सुवालाल पुत्र श्री लालू जी, जाति खटीक, निवासी जालिया द्वितीय, तहसील मसूदा, जिला अजमेर (राज.)
- 22- राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील परिसर ब्यावर, जिला अजमेर (राज.)
- 23- श्रीमान उपपंजीयक अधिकारी महोदय, उपपंजीयक कार्यालय ब्यावर,

-----प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अंतिम निर्णय

दिनांक 10-09-2018

प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दि. 12-06-2017 को विभाजन की अंतरिम डिक्री पारित कर वादीगण का वास्ते विभाजन लाया गया वाद स्वीकार योग्य पाया जाने से स्वीकार किया गया और प्रकरण में इस आशय की प्राथमिक डिक्री पारित की गई कि- " वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम बलाड, पटवार हल्का बलाड, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नया नगर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.) में वर्तमान जमाबन्दी में अंकित सहखातेदारान के मध्य आराजी खसरा नंबर 373 रकबा 01-06-00 किस्म ता.1, तथा खसरा नंबर 350 रकबा 01-03-00 किस्म ता.1, 357 रकबा 00-17-00 किस्म चाही.1+ता., तथा खसरा नंबर 359 रकबा

.....लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलेक्टर  
ब्यावर



01-11-00 किस्म चाही.1+ता., 360 रकबा 00-17-10 किस्म चाही.1+ता., 361 रकबा 01-04-00 किस्म ता.1+, स्थित भूमियों में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 21 के बीच उनके हिस्सों के अनुसार पृथक पृथक खाते कायम किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं तथा तथा उनके वर्णित हिस्सेनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 21 का कब्जा कायम किया जावे तथा नक्शा ट्रेस में अलग अलग रंग से दर्शित करते हुये तहसीलदार ब्यावर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करे। खसरा संख्या 358 रकबा 00-01-10 किस्म गै.मु.चाह, गै. मु. चाह में पक्षकारान के हिस्से अनुसार ओसरे कायम किये जावें। किसी पक्षकार की मृत्यु होने की दशा में उसके विधिक वारीसान की जांच कर पक्षकार का हिस्सा वारीसान के नाम एवं बेचान होने की दशा में खरीददार के नाम दर्ज करते हुये बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करे। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 21 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जाता है, कि विवादित भूमि में जब तक विधिक रूप से विभाजन नहीं हो जावे तब तक मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखेंगे तथा बेचान संबंधी कार्यवाही नहीं करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।”

तहसीलदार ब्यावर ने अपने पत्रांक/भू.अ./2017/3535 दि० 29-12-2017 से बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये। उक्त बंटवारा प्रस्ताव पर वादी के अधिवक्ता ने आपत्ति अंकित की, जिस पर बाद सुनवाई तहसीलदार ब्यावर से पुनः मौका की स्थिति का निरीक्षण कर बंटवारा प्रस्ताव पर टिप्पणी चाही गई थी जिस पर तहसीलदार ब्यावर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./2018/3986 दिनांक 25.07.2018 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर पूर्व में भिजवाया गया बंटवारा प्रस्ताव सही पाया जाना बताया है। उभयपक्षान अधिवक्तागण को सुना गया। पत्रावली व बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बलाड़ पटवार हल्का बलाड़ भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नयानगर तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.) के खसरा संख्या 373/1 रकबा 00-05-10 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शाया गया है, को वादी किशनलाल पुत्र गणेश जाति चमार नि. सेदरिया के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 357 रकबा 00-17-00 व 359/2 रकबा 00-10-10 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 01-07-10 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में आसमानी (हल्के हरे) रंग से दर्शाया गया है, को उत्तमचंद, चांदमल, अशोककुमार, खेमराज, राजेश पि. बाबूलाल विमला पुत्री बाबूलाल शांति पत्नि बाबूलाल जाति चमार सा. सेदरिया के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 373/3 रकबा 00-15-00, 350 रकबा 01-03-00, 360/2 रकबा 00-05-10, 359/1 रकबा 01-00-10 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 03-04-00 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में भूरे रंग से दर्शाया गया है, को कालूराम पुत्र तेजूराम जाति बेरवा नि. सोजतगेट के पास जोधपुर के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 360/1 रकबा 00-12-00, 361 रकबा 01-04-00 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 01-16-00 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस बैंगनी रंग से दर्शाया गया है, को सुवालाल वल्द लालू कौम खटीक सा. जालिया दायम के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 373/2 रकबा 00-05-10 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में काले रंग से दर्शाया गया है, को लालचन्द पि. गणेश, फूलीदेवी पत्नि स्व. घनश्याम, विजयकुमार वल्द घनश्याम, राजू पि. जगदीशप्रसाद, सन्जूललिता, पूजा पुत्रियां जगदीशप्रसाद, यशोदा पत्नि लक्ष्मी नारायण सुशीलकुमार वल्द लक्ष्मीनारायण ममता पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति चमार के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 358 रकबा 00-01-10 गै.मु.चाह जिसे कालूराम वल्द तेजूराम जाति बेरवा नि. सोजतगेट जोधपुर 4/5 हिस्सा, किशनलाल वल्द गणेश 1/30 हिस्सा, उत्तमचन्द चांदमल, अशोककुमार खेमराज, राजेश पि. बाबूलाल, विमला पुत्री बाबूलाल शांति पत्नि स्व. बाबूलाल हि.1/6 कौम चमार सा. सेदरिया खातेदार के हिस्से में रखे जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। प्रतिवादीगण

.....लगातार

राजस्थान अधिवक्ता सहायक कलक्टर  
ब्यावर



1 लगायत 21 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है, कि वे वादी के हिस्से में आई भूमियों में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 10-09-2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुरेश चौधरी)  
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर  
आर०ए०एम०  
ब्यावर  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, ब्यावर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई  
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर  
व अजलाम सुरेश चौधरी आर. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या 105/2009

श्री किशनलाल पुत्र श्री गणेश जी, जाति चमार, निवासी सेदरिया, तहसील ब्यावर,  
जिला अजमेर (राज.)

-----वादी

ब नाम

- 1- श्री लालचन्द पुत्र श्री गणेश जी, जाति चमार, निवासी सेदरिया, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.)
- 2- श्रीमति फूली देवी पत्नि श्री घनश्याम जी,
- 3- श्री विजय कुमार पुत्र श्री घनश्याम जी,  
दोनों जाति चमार, निवासियान होटल महाराणा प्रताप के पीछे, मांझ गांव,  
माउण्ट आबू, जिला सिरोही (राज.)
- 4- श्री राजू पुत्र श्री जगदीश जी,
- 5- श्री संजू पुत्र श्री जगदीश जी,
- 6- श्रीमति ललिता पुत्री श्री जगदीश जी,
- 7- श्रीमति पूजा पुत्री श्री जगदीश जी,
- 8- श्रीमति यशोदा पुत्री श्री जगदीश जी,
- 9- श्री सुशील कुमार पुत्र श्री जगदीश जी,
- 10- श्रीमति ममता पुत्री श्री जगदीश जी,
- 11- श्री पन्नालाल पुत्र श्री बुद्धा जी,
- 12- श्रीमति शान्तिदेवी बेवा श्री बाबूलाल जी,
- 13- श्री उत्तमचन्द पुत्र स्व. श्री बाबूलाल जी,
- 14- श्री चांदमल पुत्र स्व. श्री बाबूलाल जी,
- 15- श्री अशोक कुमार पुत्र स्व. श्री बाबूलाल जी,
- 16- श्री खेमचन्द पुत्र स्व. श्री बाबूलाल जी,
- 17- श्री राजेश पुत्र स्व. श्री बाबूलाल जी
- 18- श्रीमति मुन्नी पुत्री स्व. श्री बाबूलाल जी,  
समस्त जाति चमार, निवासी सेदरिया, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.)
- 19- श्री प्रभूलाल पुत्र श्री कालूराम पुत्र श्री खूमा जी,
- 20- श्री नोरतमल पुत्र श्री कालूराम पुत्र श्री खूमा जी,  
समस्त जाति चमार, निवासी सेदरिया, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.)
- 21- श्री चुवालाल पुत्र श्री लानू जी, जाति खटीक, निवासी जालिया द्वितीय,  
तहसील मसूदा, जिला अजमेर (राज.)
- 22- राजस्थान सरकार जारिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील परिरार  
ब्यावर, जिला अजमेर (राज.)
- 23- श्रीमान उपपंजीयक अधिकारी महोदय, उपपंजीयक कार्यालय ब्यावर,

-----प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अंतिम निर्णय

दिनांक 10-09-2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजरी.....मिनजामिन मुददई रूबरू.....मिनजामिन मुददायलह पेश हुकम दिया जाता है कि, ग्राम बलाड़ पटवार हल्का बलाड़ भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नयानगर तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.) के खसरा संख्या 373/1 रकबा 00-05-10 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शाया गया है, को वादी किशनलाल पुत्र गणेश जाति चमार नि. सेदरिया के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 357 रकबा 00-17-00 व 359/2 रकबा 00-10-10 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 01-07-10 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में

.....लगातार



*(Signature)*  
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर  
ब्यावर

आसमानी (हल्के हरे) रंग से दर्शाया गया है, को उत्तमचंद, चांदमल, अशोककुमार, खेमराज, राजेश पि. बाबूलाल विमला पुत्री बाबूलाल शांति पत्नि बाबूलाल जाति चमार सा. सेदरिया के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 373/3 रकबा 00-15-00, 350 रकबा 01-03-00, 360/2 रकबा 00-05-10, 359/1 रकबा 01-00-10 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 03-04-00 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में भूरे रंग से दर्शाया गया है, को कालूराम पुत्र तेजूराम जाति बेरवा नि. सोजतगेट के पास जोधपुर के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 360/1 रकबा 00-12-00, 361 रकबा 01-04-00 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 01-16-00 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस बैंगनी रंग से दर्शाया गया है, को सुवालाल वल्द लालू कौम खटीक सा. जालिया दायम के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 373/2 रकबा 00-05-10 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में काले रंग से दर्शाया गया है, को लालचन्द पि. गणेश, फूलीदेवी पत्नि स्व. घनश्याम, विजयकुमार वल्द घनश्याम, राजू पि. जगदीशप्रसाद, सन्जूललिता, पूजा पुत्रियां जगदीशप्रसाद, यशोदा पत्नि लक्ष्मी नारायण सुशीलकुमार वल्द लक्ष्मीनारायण ममता पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति चमार के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 358 रकबा 00-01-10 गै.मु.चाह जिसे कालूराम वल्द तेजूराम जाति बेरवा नि. सोजतगेट जोधपुर 4/5 हिस्सा, किशनलाल वल्द गणेश 1/30 हिस्सा, उत्तमचन्द चांदमल, अशोककुमार खेमराज, राजेश पि. बाबूलाल, विमला पुत्री बाबूलाल शांति पत्नि स्व. बाबूलाल हि.1/6 कौम चमार सा. सेदरिया खातेदार के हिस्से में रखे जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। प्रतिवादीगण 1 लगायत 21 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है, कि वे वादी के हिस्से में आई भूमियों में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

निजी.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाधि तक.....की अदा करें।

बहस्व मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 10-09-2018 को जारी किया गया।



(सुरेश चौधरी)  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	



(सुरेश चौधरी)  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर